न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–03, गोण्डा।

उपस्थितः– राजेश कुमार–तृतीय (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण वाद संख्या–645/2024

CNR NO.-UPGD010038022024

राज्य-- **अभियोजन पक्ष।**

बनाम

1–कौशल निषाद पुत्र ननकू उम्र लगभग 37 वर्ष,
2–मनोज पासी उर्फ ओम प्रकाश पुत्र गोपाल उम्र लगभग 32 वर्ष,
निवासीगण–विशुनपुर टेढ़ी, थाना–हुजूरपुल, जिला–बहराइच।

---------**अभियुक्तगण।**

मु०अ०सं०-454/2022
धारा-323/34, 308/34, 504
भा०दं०सं०
थाना-करनैलगंज, जिला-गोण्डा।

निर्णय

1– प्रस्तुत सत्र परीक्षण वाद संख्या–645/2024 का विचारण थाना पुलिस करनैलगंज द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–454/2022, अन्तर्गत धारा–323, 308, 504 भा०दं०सं० थाना–करनैलगंज, जिला–गोण्डा में अभियुक्तगण कौशल निषाद व मनोज पासी उर्फ ओम प्रकाश के विरूद्ध न्यायालय में प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर किया गया। अवर न्यायालय में आरोप पत्र प्राप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण कौशल निषाद व मनोज पासी उर्फ ओम प्रकाश के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–323, 308, 504 भा०दं०सं० के अन्तर्गत न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा दिनांक–07.08.2023 को प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये। अभियुक्तगण को अभियोजन अभिलेखों की प्रतियाँ प्रदान की गयी। यह वाद अभियुक्तगण के विरूद्ध न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा दिनांक–01.07.2024 को सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया। यह सत्र परीक्षण वाद इस न्यायालय को माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेश दिनांकित–24.02.2025 के अनुपालन में इस न्यायालय को दिनांक–07.03.2025 को प्राप्त हुआ, तदोपरांत अभियोजन साक्ष्य के आधार पर उक्त वाद का विचारण किया गया।

2– अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी की तहरीर 3/5 के अनुसार मुकदमा वादी चैतू निषाद द्वारा यह कथन किया गया है कि –

"प्रार्थी चैतू निषाद पुत्र रग्घू निवासी विशुनपुर टेढ़ी, थाना–हुजूरपुर, जनपद–बहराइच का मूल निवासी है। प्रार्थी करनैलगंज से सवरू चौराहा पर रेढ़ी फास्टफूड की लगाता

Digitally signed by RAJESH KUMAR
Date: 2026.03.30 16:38:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

है। कल दिनांक–25.08.2022 की समय लगभग 10.30 बजे खाना खाने की बात को लेकर विपक्षीगण कौशल निषाद पुत्र ननकू व मनोज पासी पुत्र गोपाल निवासी उपरोक्त के है, जो प्रार्थी को भद्दी–भद्दी गाली देते हुए लाठी–डंडा व मूका थप्पड़ से मारे पीटे है, जिससे प्रार्थी के शरीर पर चोटें आयी है। घटना मदीना मस्जिद के बगल की है। अतः मेरी रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही करने की कृपा करें।"

3– प्रस्तुत प्रकरण में वादी की उक्त तहरीर दिनांकित–26.08.2022 कागज संख्या–3/5 **प्रदर्श क–1** के आधार पर थाना–करनैलगंज, जिला–गोण्डा के आधार पर एन०सी०आर० संख्या–274/2022 अभियुक्त कौशल निषाद व मनोज पासी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–323, 504 भा०दं०सं० में पंजीकृत की गयी। वादी मुकदमा की आयी चोटों के आधार पर उक्त एन०सी०आर० में धारा–308 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी करते हुए उक्त एन०सी०आर० को मुकदमा अपराध संख्या–454/2022 में तहमीम किया गया, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट पत्रावली पर मूल कागज संख्या–4/1 लगायत 4/3 **प्रदर्श क–3** के रूप में संलग्न है। इस अभियोग की विवेचना विवेचक उपनिरीक्षक दिवाकर मिश्रा द्वारा की गयी, विवेचक द्वारा साक्षीगण के बयान अभिलिखित किये गये, घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया। सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्तगण कौशल निषाद व मनोज पासी उर्फ ओम प्रकाश के विरूद्ध आरोप पत्र, अन्तर्गत धारा–323, 308, 504 भा०दं०सं० में दिनांक–06.12.2022 को अवर न्यायालय में प्रेषित किया गया, तदोपरान्त तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा आरोप पत्र पर संज्ञान लिया गया।

4– अभियुक्तगण कौशल निषाद व मनोज पासी उर्फ ओम प्रकाश के विरूद्ध अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अन्तर्गत धारा–323/34, 308/34, 504 भा०दं०सं० का प्रथम दृष्टया आधार पाते हुए उक्त धाराओं में अभियुक्तगण कौशल निषाद व मनोज पासी उर्फ ओम प्रकाश के विरूद्ध आरोप न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गोण्डा द्वारा दिनांक–18.09.2024 को विरचित किये गये। अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्तगण द्वारा आरोपों से इंकार किया गया तथा विचारण की याचना की गयी।

5– अभियोजन द्वारा अपने कथानक के समर्थन में निम्नलिखित अभियोजन अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं–

क्रम संख्या	**अभियोजन अभिलेख**	**प्रदर्श**
1.	तहरीर वादी मुकदमा	प्रदर्श क–1
2.	एक्सरे आख्या (मजरूब)	प्रदर्श क–2
3.	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–3
4.	कायमी जी०डी० मुकदमा	प्रदर्श क–4
5.	आघात आख्या (मजरूब)	प्रदर्श क–5
6.	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–6
7.	आरोप पत्र	प्रदर्श क–7

6– मौखिक साक्ष्य के रूप में अभियोजन द्वारा निम्न साक्षीगण प्रस्तुत किए गये हैं, जिन्हें न्यायालय में परीक्षित कराया गया है–

क्रम संख्या	अभियोजन साक्षी	विवरण
1.	चैतू निषाद	वादी मुकदमा/चोटहिल
2.	नरेश कुमार	स्वतंत्र साक्षी
3.	सुनील कुमार	स्वतंत्र साक्षी
4.	बब्लू	स्वतंत्र साक्षी
5.	चिकित्सक पवन कुमार	चिकित्सक साक्षी
6.	हे०कां० शिव प्रताप सरोज	प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक
7.	चिकित्सक अनुज कुमार	चिकित्सक साक्षी
8.	उपनिरीक्षक दिवाकर मिश्रा	मुकदमा विवेचक
9.	हे०कां० दिनेश कुमार	एन०सी०आर० लेखक

7– अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है, जिनका साक्ष्य परीक्षण निम्न प्रकार हैः –

अभियोजन साक्ष्य परीक्षण–

8– अभियोजन साक्षी–01 चैतू निषाद मुकदमा वादी है इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया गया है कि– घटना दिनांक–25.08.2022 रात 10.30 बजे की है। मैं खाना खाने के लिए जा रहा था, जैसे ही मैं मदीना मस्जिद के पास पहुंचा तो पीछे से कौशल लाठी से और मनोज ने लोहे के राड से मारा, जिससे मैं बेहोश होकर वही पर गिर गया था। फिर वहां से कोई उठाकर घर मुझे लेकर आये फिर डाक्टर के पास गये तो डाक्टर ने मना कर दिया कि पुलिस केस है। उसके बाद मैं थाने पर गया और थाने के बाहर एक व्यक्ति से तहरीर बोल–बोलकर लिखाया था, उसने पढ़कर सुनाया था तब मैंने दस्तखत बनाकर तहरीर थाने पर दिया था। **तहरीर** पत्रावली में कागज संख्या–4/5 है, जिस पर बने अपने दस्तखत की पुष्टि करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श–क–1** डाला गया। मेरी डाक्टरी पुलिस ने पहले करनैलगंज में बाद जिला अस्पताल गोण्डा में करायी थी, मुझे सबसे ज्यादा चोट सिर में लगा था। मुकदमा लिखे जाने के बाद पुलिस ने मेरा बयान लिया और पुलिस को मारपीट वाली जगह दिखायी थी।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी से जिरह करने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि मैं सपरू चौराहे पर था वहां से अपने घर खाना खाने जा रहा था, थाना नहीं खाया था, खाना खाने अपने घर मौर्यनगर जा रहा था मैं सपरू चौराहे के पास था मैं किराये के घर में रहता था। खाना खाने घर जा रहा था, रोज खाना मैं अपने घर पर खाता हूँ। खाना खाने बाहर नहीं जाता हूँ। मुझे चोट मदीना मस्जिद के पास लगी थी, अजीमउल्ला के पास मुझे चोट नहीं लगी थी। मैं अपनी दुकान सबरू चौराहे पर लगाता हूँ। मेरी दुकान से मेरा कमरा लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। मेरी दुकान से शराब का ठेका लगभग 500 मीटर की दूरी पर है, जिस स्थान पर मैं दुकान लगाता हूँ और जहां मेरा कमरा है, दोनों के बीच में मदीन मस्जिद है, दोनों के बीच में मदीना मस्जिद नहीं पड़ती है। साल छः महीने में मैं एक–दो बार शराब पी लेता हूँ। घटना के दिन शराब ठेका के सामने मेरा ठेला नहीं, बल्कि शराब ठेका के सामने से होकर अपना ठेला अपने घर लेकर जाता हूँ। फास्टफूड वाला ठेला मैं रोज अपने कमरे पर खड़ा करता हूँ।

घटना के दिन भी मैंने अपना ठेला व्यापार स्थल से लाकर अपने घऱ पर खड़ा किया था। घटना के दिन मेरी बीबी व पतोहू ने खाना बनाया था उसी को खाया था। मनोज व कौशल भी फास्टफूड का ठेला लगाते है, अलग–अलग ठेला लगाते है। मनोज अपना ठेला पइतिमा खाना करनैलगंज चौराहे पर लगाते है और कौशल अपना ठेला कसगढ़ मोहल्ला के सामने करनैलगंज में लगाते है ये दोनों लोग भी अपना ठेला ढकेल कर अपने–अपने कमरे पर ले जाते है। इन दोनों का कमरा भैरवनाथ मंदिर के पीछे करनैलगंज स्टेशन के पास है। घटना के दिन में दोनों लोग भी ढकेलकर अपना–अपना ठेला कमरे पर ले गये थे। कौशल व मनोज से मेरी वर्तमान में कोई दुश्मनी नहीं थी हम दोनों की व्यापारिक दुश्मनी थी, क्योंकि हम लोग एक ही धन्धा करते है और व्यवसायिक रंजिश थी। यह कहना गलत है कि घटना वाले दिन मैं अपने ठेला लेकर जब शराब ठेका के सामने से गुजर रहा था तब वहां मौजूद शराबियों ने मेरे ठेले के सामान को खाया पीया और जब मैंने उनसे पैसा मांगा तब उन शराबियों द्वारा मुझे बांस की फट्ठी से मारा गया था, जिससे मुझे चोटें आयी थी। घटनास्थल पर चोटें नहीं आयी थी। यह भी कहना गलत है कि मनोज व कौशल ने मुझे मारपीट कर चोटें पहुंचाई हो। यह भी कहना गलत है कि अज्ञात व्यक्तियों द्वार पहुंचाई गयी चोट आने के कारण मैंने मौका पाकर मनोज व कौशल के विरूद्ध व्यवसायिक प्रतिस्पर्ध के कारण मैंने झूंठा मुकदमा लिखाया था। मुझे दो चोटें आयी थी एक चोट सिर व एक पीठ के कमर पर आयी थी। वह लोहें के राड वाली चोट आयी थी इन दोनों चोटों को मैंने डाक्टर को दिखाया था। यह कहना गलत है कि मेरे कमर पर कोई चोट न आयी हो। यह कहना गलत है कि कमर वाली मुझे नहीं थी इस कारण डाक्टर ने चोट न लिखी हो। यह कहना गलत है कि अभियुक्तों को फंसाने के लिए आज झूंठा बयान दिया है।

9– <u>अभियोजन साक्षी–02 नरेश कुमार</u> स्वतंत्र साक्षी है इस साक्षी ने अपने बयान में सशपथ कथन किया है कि– मैं मेहनत मजदूरी का काम करता हूँ। मैं चैतू को भली–भांति जानता हूँ तथा इस मुकदमें के अभियुक्त कौशल निषाद व मनोज पासी के साथ भी मेहनत मजदूरी करता था। घटना आज से करीब 03 साल पूर्व की है। मनोज व कौशल करनैलगंज में किराये के मकान पर रहते थे और फास्टफूड का ढेला लगाकर अपनी जीविका चलाते थे। घटना वाली रात उक्त लोगों के ठेले पर आये कुछ नसेड़ियों के बीच हुए झगड़े में बीच बचाव को लेकर चैतू निषाद को उन्हीं लोगों द्वारा लात, घूसे व डंडों से मारा पीटा, और वहां मौजूद लोग द्वारा बीच बचाव कराया गया था मेरे साथ घटना को प्रेमकुमार, मुकेश, शक्ति राम, सुनील व पवन यादव ने देखा था। घटना के बारे में दरोगा जी ने कोई बयान नहीं लिया था।

इस स्तर पर उक्त साक्षी को **पक्षद्रोही घोषित** किया गया और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता को जिरह की अनुमति दी गई।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा उक्त साक्षी से जिरह करने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि साक्षी को धारा–161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था, कैसे लिख दिया इसका मैं कोई कारण नहीं बता सकता हूँ। यह मुकदमा चैतू ने कौशल व मनोज के खिलाफ लिखाया था। यह कहना सही है कि इस घटना में चैतू को चोटें आयी थी। मनोज व कौशल से मेरा बहुत पुराना संबंध है। यह कहना गलत है कि इसी संबंध के कारण आज मैं उन्हें बचाने के लिए सही बात नहीं बता रहा हूँ। मनोज व कौशल के विरूद्ध गलत मुकदमा लिखाया गया है, किन्तु गलत मुकदमा लिख जाने के बावत मैंने कोई शिकायत किसी पुलिस अधिकारी से नहीं किया था। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों से आर्थिक लाभ लेकर मैं उन्हें बचाने के लिए झूंठी गवाही दे रहा हूँ।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी से **जिरह** करने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि घटना दिनांक–25.08.2022 के समय 10.30 बजे रात खाना खाने की बात को लेकर चैतू व मनोज तथा कौशल के बीच कोई वाद विवाद नहीं हुआ था। **मनोज व कौशल ने कथित घटना के दिन चैतू को लात घूसा व लाठी डंडों से मारा पीटा नहीं है और न ही गाली गलौज दिया है, जो सही बात है आज मैं न्यायालय के समक्ष बता रहा हूँ। चैतू निषाद को नसेडियों ने करनैलगंज शराब की दुकान के पास वाद विवाद होने पर चोटें पहुंचाई थी।**

10– अभियोजन साक्षी–03 सुनील कुमार स्वतंत्र साक्षी है इस साक्षी ने अपने बयान में सशपथ कथन किया है कि– घटना आज से लगभग 03 साल पहले रात करीब 10–11 बजे के बीच की है, मनोज व कौशल करनैलगंज बाजार में किराये का मकान लेकर फास्ट फूट का ठेला लगाकर अपनी जीविका चलाते थे। घटना वाली रात मनोज व कौशल के ठेले के बगल चैतू निषाद भी ठेला लगाते थे वहां कुछ नशेडियों के बीच हुए झगडे में बीच बचाव करने पर चैतू निषाद को उन्ही नशेडियों व उनके साथियों ने लाठी डंडा व लात घूसों से मारा गया था, जिससे चैतू को चोट आयी थी मैंने तथा अन्य लोगों ने बीच बचाव कराया था। बीच बचाव करने में मेरे साथ प्रेम कुमार, मुकेश, नरेश व पवन यादव भी थे। घटना के बार में किसी पुलिस वाले ने मेरा बयान नहीं लिया था।

इस स्तर पर उक्त साक्षी को **पक्षद्रोही घोषित** किया गया और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता को जिरह की अनुमति दी गई।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा उक्त साक्षी से जिरह करने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि साक्षी को धारा–161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था, कैसे लिख दिया मुझे नहीं मालूम है। चैतू निषाद, मनोज तथा कौशल मेरे ही गांव जवार के है और ये सभी लोग फास्टफूड का ठेला लगाकर अपनी जीविका चलाते है। यह कहना सही है कि घटना वाले रात चैतू निषाद को मारपीट में चोटें आयी थी। यह मुकदमा चैतू निषाद ने मनोज व कौशल के विरूद्ध लिखाया था। यह कहना गलत है कि मनोज व कौशल द्वारा किये गेय मजाक का विरोध करने पर चैतू को इन लोगों द्वारा लाठी, डंडा व लात मुक्के से बुरी तरह से मारा गया था। यह कहना गलत है कि पड़ोस के गांव का होने के नाते मुल्जिमानों से आर्थिक लाभ लेकर आज झूंठा बयान दे रहा हूँ।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी से **जिरह** करने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि घटना दिनांक–25.08.2022 समय करीब 10.30 बजे रात खाना खाने की बात को लेकर मनोज व कौशल ने चैतू से कोई मजाक नहीं किया था तथा न उक्त बात को लेकर इन लोगों के बीच कोई वाद विवाद ही हुआ था। **घटना के समय चैतू निषाद अपने फास्टफूड ठेले को करनैलगंज बस स्टाप पर शराब ठेके के सामने लगाये हुए थे इनके ठेले पर कुछ दो–तीन शराबियों ने उनके फास्टफूड को खाया पीया और जब चैतू निषाद ने पैसा मांगा तब उन लोगों ने पैसा नहीं दिया और चैतू को गाली गुप्ता देते हुए लात, घूसा व सड़क के किनारे पड़ी बास की फट्ठी से मारा पीटा, जिससे उन्हें चोटें आयी थी। मनोज व कौशल ने चैतू को न तो गाली गुप्ता दिया है और न ही उन्हें मारा पीटा है।**

11– अभियोजन साक्षी–04 बब्लू स्वतंत्र साक्षी है इस साक्षी ने अपने बयान में सशपथ कथन किया है कि घटना दिनांक–25.08.2022 समय करीब रात 10–11 बजे के बीच की है। मनोज व कौशल करनैलगंज बाजार में फास्ट फूड का ठेला लगाते थे और वहीं किराये के मकान में रहते थे, मनोज के ठेले

के पास ही चैतू निषाद भी फास्ट फूड का ठेला लगाते थे। घटना वाली रात चैतू के ठेले पर कुछ नसेडी शराब पीकर आपस में झगड़ा कर रहे थे, चैतू द्वारा ठेले के पास झगड़ा न करने के लिए कहने पर उन नसेडियों ने चैतू को लाठी, डंडा व लात घूसों से मारा पीटा था, हल्ला गोहार पर मैंने सुनील, प्रेम कुमार, मुकेश व पवन ने झगड़े का बीच बचाव कराया था। घटना में चैतू को चोटें आयी थी। घटना के बारे में किसी पुलिस वाले ने मेरा बयान नहीं लिया था। मैंने झगड़ा करने वाले किसी व्यक्ति को पहचाना नहीं था।

इस स्तर पर उक्त साक्षी को **पक्षद्रोही घोषित** किया गया और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता को जिरह की अनुमति दी गई।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा उक्त साक्षी से जिरह करने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि साक्षी को उसका धारा–161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि मैंने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, कैसे लिख लिया इसकी वजह मैं नहीं बता सकता हूँ। यह सही है कि यह मुकदमा चैतू निषाद ने मनोज व कौशल के विरूद्ध लिखाया था। इस घटना में चैतू को चोटें आयी थी। यह भी कहना सही है कि चैतू निषाद मनोज व कौशल के बगल में ही फास्ट फूड का ठेला लगाते है। यह कहना गलत है कि मनोज व कौशल से मेरा अच्छा संबंध होने के कारण उन्हें बचाने के लिए उनसे आर्थिक लाभ लेकर आज मैं न्यायालय पर झूंठी गवाही दे रहा हूँ।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी से **जिरह** करने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि हाजिर अदालत **मुल्जिमान मनोज उर्फ ओम प्रकाश व कौशल ने चैतू निषाद को न तो मारा पीटा है न ही गाली गलौज किया है। चैतू निषाद को चोटें शराबियों द्वारा पहुंचाई गयी है। ठेला लगाने के स्थान को लेकर चैतू निषाद व मनोज तथा कौशल के बीच आपसी मनमुटाव व रंजिश थी इसी रंजिश को लेकर चैतू निषाद ने मनोज व कौशल के विरूद्ध यह झूंठा मुकदमा लिखाया था। उक्त घटना को मैंने अपनी आँखों से देखा है।**

12– अभियोजन साक्षी–05 चिकित्सक पवन कुमार रेडियोलाजिस्ट है इस साक्षी ने अपने बयान में सशपथपूर्वक कथन किया है कि दिनांक–27.08.2022 को मैं जिला अस्पातल गोण्डा में रेडियोलाजिस्ट के पद पर तैनात था उस दिन मजरूब चैतू आयु करीब 45 वर्ष पुत्र रग्घु निवासी विशुनपुरा टेढ़ी, थाना–हुजुरपुर, जनपद–गोण्डा ई०एम०ओ० द्वारा सन्दर्भित होकर सिर के एक्सरे हेतु मेरे समक्ष आया था। एक्सरे के पश्चात् एक्स प्लेट के आधार पर मजरूब के **सिर के सामने दाहिनी पर टूटा हुआ पाया गया था**, जिसकी अंकना मैंने अपनी रिपोर्ट पर अंकित कर उसका निशानी अंगूठा लगवाया गया था। **एक्सरे रिपोर्ट** पत्रावली में कागज संख्या–5/12 जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूं, जिस पर **प्रदर्श–क–2** डाला गया। **एक्से प्लेट** संलग्न पत्रावली है, जिस पर **वस्तु प्रदर्श–1** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी से **जिरह** करने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि मैं जिला अस्पताल गोण्डा मैं रेडियोलाजिस्ट के पद पर 2020 से 2024 तक तैनात था। मुझे इस समय याद नहीं है कि मजरूब किस तारीख को एक्सरे हेतु मेरे पास आया था। ई०एम०ओ० गोण्डा द्वारा एक्सरे हेतु सन्दर्भित किया गया था। यह कहना गलत है कि सी०एच०सी० करनैलगंज के डाक्टर द्वारा एक्सरे हेतु सन्दर्भित चिट्ठी मुझे मिली थी। मजरूब के साथ पुलिस आयी थी पुलिस कहां की थी इसकी जानकारी नही हैं। मजरूब की पहचान पुलिस द्वारा किया गया था व्यक्तिगत रूप से मैं उसको नहीं जानता हूँ। मजरूब के सिर में आयी फ्रैक्चर राईट फ्रंटल रिजीन सर बल गिरने से भी आ सकती है। यह कहना

गलत है कि मजरूब के दाहिनी फ्रांटल रिजीन में फ्रैक्चर नहीं थी और वादी के प्रभाव में आकर मैंने झूंठी रिपोर्ट तैयार किया था।

13– <u>अभियोजन साक्षी–06 हे०कां० शिव प्रताप सरोज</u> प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक है इस साक्षी ने अपने बयान में सशपथपूर्वक कथन किया है कि दिनांक–26.08.2022 को मैं थाना कार्यालय कर्नलगंज में का० मोहर्रिर के पद पर तैनात था। उस दिन वादी चैतू निषाद द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर मेरे द्वारा एन०सी०आर०सं०–274/2022 अन्तर्गत धारा–323, 504 भा०दं०सं० विरूद्ध कौशल निषाद व एक अन्य की एन०सी०आर० पंजीकृत की गई थी। जिसकी कायमी जी०डी०सं०–46 दिनांकित–26.08.2022 समय 16:00 बजे पर दर्ज की गई थी। उपरोक्त वाद के मजरूब की मेडिकल व एक्स–रे रिपोर्ट व प्लेट के आधार पर उपरोक्त एन०सी०आर० अपराध संख्या–454/2022 अन्तर्गत धारा 323, 308 504 भा०दं०सं० में दिनांक 13.09.2022 को तरमीम की गई थी, जिसे मेरे द्वारा सीसीटीएनएस प्रणाली पर तैनात कान्सटेबल से बोल कर पंजीकृत करायी थी, जिसकी कायमी जी०डी० सं–77 दिनांकित 13.09.2022 समय 18:39 बजे पर मेरे द्वारा दर्ज करायी गई थी। **प्रथम सूचना रिपोर्ट** संलग्न पत्रावली का०सं०–4/1 लगायत 4/3 व **कायमी जी०डी०**–4/4 है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर क्रमशः **प्रदर्श क–3** व **प्रदर्श क–4** डाला गया है। दौरान विवेचना विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी से **<u>जिरह</u>** करने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि यह मुकदमा एन०सी०आर० में एस०एम० दिनेश कुमार द्वार लिखा गया था। उस समय मैं थाने में तैनात था। जिसका मैंने दिनांक–13.09.2022 को तरमीम किया था। मेरे सामने मजरूब नहीं आया था, विवेचक द्वारा मुझे प्रपत्र दिखाया गया था, उसी के आधार पर मैंने मुकदमें को तरमीम किया था। वर्तमान प्रभारी निरीक्षक के निर्देश पर मैंने यह मुकदमा तरमीम किया था। मैंने मेडिकल रिपोर्ट पढ़ा था, एक्सरे में फ्रैक्चर राइट फ्रन्टल रिजन आफ स्कल लिखा था उसी के आधार पर मैंने धारा–308 भा०दं०सं० की एफ०आई०आर० विवेचक के निर्देश पर तरमीम की थी। यह कहना गलत है कि वादी मुकदमा के प्रभाव में विवेचक से साठगांठ करके मैंने झूंठी एफ०आई०आर० तरमीम की।

14– <u>अभियोजन साक्षी–07 चिकित्सक अनुज कुमार</u> <u>चिकित्सक साक्षी है</u> इस साक्षी ने अपने बयान में सशपथपूर्वक कथन किया है कि दिनांक–26.08.2022 को मैं सी०एच०सी० करनैलगंज में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था उस दिन **मजरूब चैतू पुत्र रग्घु** उम्र करीब 45 वर्ष निवासी विशुनपुर टेढ़ी, थाना–हुजूरपुर, जिला–बहराइच चिकित्सीय परीक्षण हेतु होमगार्ड दिनेश कुमार अवस्थी द्वारा मजरूबी चिट्ठी के साथ लाया गया था, मैंने मजरूब की आघात आख्या 05.10 पी०एम० पर उसका पहचान चिन्ह अंकित करते हुए उसके शरीर पर निम्न चोटें पायी थी–

1– *फटा हुआ घाव 2.8 cm X 0.8 cm माथे पर सामने की तरफ हड्डी तक गहरा जो दाहिनी भौंव से 3.5 cm ऊपर था। घाव के सूजन लालिमा लिये हुई थी।*

2– *दाहिने हाथ की अंगुलियों में दर्ज की शिकायत।*

<u>अभिमत–</u>

मेरी राय में चोट नं०–1 साधारण प्रकृति की जो किसी ठोस व सख्त कुन्दालय से आयी थी। चोट लगभग एक दिन पुरानी थी, जिसके लिए विशेषज्ञ की सलाह व सिर के एक्सरे हेतु सन्दर्भित किया था।

मजरूब की **आघात आख्या** कागज संख्या–5/16 जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूं, जिस पर **प्रदर्श–क–5** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी से **जिरह** करने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि मैं सी०एच०सी० करनैलगंज में जून 2022 से सितम्बर 2025 तक मैं तैनात था। दिनांक–26.08.2022 को मजरूब चैतू 05.10 पी०एम० पर अस्पताल लाया था। मजरूब के शरीर पर मात्र एक चोट थी, में चोट मजरूब को माथे पर दाहिने तरफ पायी गयी थी। ये चोट मजरूब के किसी सख्त चीज या सड़क पर गिरने से आ सकती है। देखने से उक्त चोट साधारण प्रकृति की थी। यह कहना गलत है कि मजरूब की कथित चोटें न आयी हो और मैं वादी/मजरूब के नाजायज दबाव में ये चोट फर्जी रूप से लिखा है और उसे एक्सरे हेतु रेफर कर दिया हो।

15– अभियोजन साक्षी–08 उप निरीक्षक दिवाकर मिश्रा मुकदमा विवेचक है इस साक्षी ने अपने बयान में सशपथपूर्वक कथन किया है कि दिनांक–14.09.2022 को मैं थाना कर्नलगंज में मैं उपनिरीक्षक के पद पर कस्बा चौकी इंचार्ज के पद पर तैनात था। उस दिन मेरे द्वारा अ०सं०–454/2022 अन्तर्गत धारा–323, 504, 308 भा०दं०सं० विरूद्ध कौशल निषाद व एक अन्य कि विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण कर उसी दिन नकल चिक, नकल रपट, अवलोकन मेडिकल रिपोर्ट व एक्सरे रिपोर्ट वादी, बयान एफआईआर लेखक लेकर उनकी अंकना सी०डी०सं०–1 में किया। दिनांक 27.09.2022 को वादी मुकदमा का बयान लेकर उसकी निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया, तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह अजय कुमार का बयान लिया, जिसकी अंकना सी०डी०सं०–2 में की। **नक्शा नजरी** संलग्न पत्रावली का०सं०–5/17 है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया। दिनांक–10.10.2022 को डाक्टर अनुज कुमार व रेडियोलाजिस्ट डाक्टर पवन कुमार का बयान लिया, जिसकी अंकना सी०डी०–3 में की। दिनांक–24.10.2022 को गवाहों की तलाशी, जिसकी अंकना सी०डी०–4 में की। दिनांक–07.11.2022 को स्वतंत्र गवाह मुकेश, प्रेम कुमार, राजितराम व नरेश का बयान लिया, जिसकी अंकना सी०डी०–5 में की। दिनांक–20.11.2022 को स्वतंत्र गवाह सुनील, बब्लू, रामतेज व पवन यादव का बयान लिया, जिसकी अंकना सी०डी० 6 में की। सी०डी०सं०–7 दिनांकित 30.11.2022 अभियुक्तों की तलाश से सम्बन्धित है। दिनांक–06.12.2022 को अभियुक्त मनोज उर्फ ओमप्रकाश व कौशल निषाद का बयान लिया, तत्पश्चात मुकदमें की तमामी विवेचना में प्राप्त संकलित साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त कौशल निषाद व मनोज पासी उर्फ ओमप्रकाश के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–323, 504, 308 भा०दं०सं० में माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया, जिसकी अंकना सी०डी०सं०–8 में की। **आरोप पत्र** पत्रावली में संलग्न का०सं०–5/1 लगायत 5/6 है, जिस पर लिखी इबारत व उस पर बने अपने हस्ताक्षर को मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–7** डाला गया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी से **जिरह** करने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि यह मुकदमा एन०सी०आर० में दर्ज हुआ था। मैं करनैलगंज में नवम्बर 2021 से दिसम्बर 2022 तक वहां तैनात था। इस मुकदमें की विवेचना मेरे द्वारा ही की गयी है। घटना के सभी साक्षियों का बयान मेरे द्वारा ही लिया गया था। घटना स्थल का नक्शा नजरी वादी मुकदमा की निशादेही पर मेरे द्वारा ही बनाया गया था। नक्शा नजरी में घटना स्थल अजीमुल्ला के घर के सामने दर्शित किया गया है। यह कहना गलत है कि घटना स्थल मदीना मस्जिद के सामने घटना घटित हुई है। घटना के गवाहान बयान देने के चौकी

कस्बा आये थे, वहीं पर मेरे द्वारा बयान लिया गया था। यह कहना गलत है कि साक्षियों का मैंने कोई बयान अंकित नहीं किया था। यह कहना गलत है कि साक्षियों का मैंने कोई बयान नहीं लिया है, बल्कि चौकी पर बैठकर मनमाने तरीके से साक्षियों का बयान अंकित कर लिया गया है। यह भी कहना गलत है कि मैं कथित घटना स्थल पर नहीं गया था और मेरे चौकी पर ही बैठकर नक्शा नजरी तैयार कर लिया गया है। यह भी कहना गलत है कि मेरे द्वारा निष्पक्ष रूप से विवेचना नहीं की गई है, वादी के प्रभाव में आकार अभियुक्तगण के विरुद्ध फर्जी तरीके से आरोप पत्र माननीय न्यायालय पर प्रेषित किया गया है।

16– उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अभियोजन द्वारा अन्य और कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया है। अभियोजन की याचना पर अभियोजन का साक्ष्य अवसर समाप्त किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये। दिनांक–20.02.2026 को अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० में अभिलिखित किये गये। अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताया गया और कथन किया है कि वे निर्दोष हैं, यह झूँठा रंजिशन है। अभियुक्तगण द्वारा सफाई साक्ष्य न देने का कथन किया गया है।

17– अभियोजन के प्रार्थना–पत्र के आधार पर अभियोजन साक्षी हे०कां० दिनेश कुमार को साक्ष्य हेतु तलब किया गया और उसका बयान अभिलिखित कराया गया।

18– <u>अभियोजन साक्षी–09 हे०कां० दिनेश कुमार</u> एन०सी०आर० लेखक है इस साक्षी ने अपने बयान में सशपथपूर्वक कथन किया है कि दिनांक–26.08.2022 को मैं थाना–करनैलगंज में हे०मो० के पद पर तैनात था उस दिन वादी मुकदमा चैतू निषाद द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर मैंने एन०सी०आर० संख्या–274/2022, अन्तर्गत धारा–323, 504 भा०दं०सं० विरूद्ध कौशल निषाद व एक अन्य थाना करनैलगंज गोण्डा बोलकर सी०सी०टी०एन०एस० प्रणाली पर तैयार कर पंजीकृत करायी थी, जिसकी कायमी जी०डी० नं०–46 दिनांकित–26.08.2022 समय 16 बजे पर मैंने ही दर्ज करायी थी। पत्रावली में संलग्न एन०सी०आर० कागज संख्या–5/13 व कायमी जी०डी० कागज संख्या–5/14 है जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर क्रमशः प्रदर्श–क–8 व प्रदर्श–क–9 डाला गया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी से **<u>जिरह</u>** करने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि मैं कोतवाली करनैलगंज में दिनांक–12.01.2022 से 22.02.2026 तक कार्यरत था वादी मुकदमा दिनांक–26.08.2022 को समय करीब 16 बजे थाने पर आया था। मजरूब अकेले थाने पर स्वयं पैदल चलकर अच्छी हालत में आया था। वादी मुकदमा तहरीर लिखाकर लाया था, कहां से लिखाकर लाया था इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तहरीर पर वह अपना निशानी अंगूठा बाहर से लगाकर लाया था। मैंने वादी से तहरीर लेकर सीधे एस०सी०आर० दर्ज कर दिया था। वादी की मजरूबी चिट्ठी मैंने ही तैयार की थी। मजरूबी चिट्ठी बनाते समय वादी के सिर पर मात्र एक ही चोट थी अन्य कोई जाहिरा चोट उसके शरीर पर नहीं थी, जो चोट मैंने मजरूबी चिट्ठी में अंकित किया उसका डाक्टरी व इलाज कहीं पूर्व से करवाकर आया था और सिर पर पहले से पट्टी बंधी हुई थी। यह कहना गलत है कि मैंने वादी मुकदमा से नाजायज साठ–गांठ करके झूंठा मुकदमा लिखा हो, अभियुक्तगण के विरूद्ध झूंठा मुकदमा लिखा हो।

19– उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अभियोजन द्वारा अन्य और कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया है। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये। दिनांक–25.03.2026 को अभियुक्तगण का अतिरिक्त बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० में अभिलिखित किये गये। अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताया गया और कथन किया है कि वे निर्दोष हैं, यह झूँठा रंजिशन है। अभियुक्तगण द्वारा सफाई साक्ष्य न देने का कथन किया गया है।

20– मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की विस्तृत रूप से बहस सुनी तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

बहस–विश्लेषण

21– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध यह मुकदमा झूंठा, रंजिशन लिखाया गया है, अभियुक्तगण ने कोई मारपीट नहीं किया है न ही जान से मारने की धमकी दिया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहों ने घटना का कोई समर्थन नहीं किया है। अभियोजन के गवाह पक्षद्रोही है और उनके बयानों में घोर विरोधाभाष है। वादी पक्ष द्वारा जो चिकित्सा आख्या प्रस्तुत की गयी है वह गलत है इस मुकदमें में एन०सी०आर० के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और वादी द्वारा गलत चोटें दर्शित करते हुए धारा–308 भा०दं०सं० का मामला बनवाया है। विवेचक द्वारा गलत विवेचना करके अभियुक्तगण के विरूद्ध झूंठा आरोप पत्र दाखिल किया है, नक्शा नजरी भी गलत है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। घटना के सभी साक्षीगण पक्षद्रोही है तथा वादी द्वारा भी विरोधाभाषी बयान दिया गया है, जिससे अभियोजन कथानक साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई भी अपराध नहीं बनता है। अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा खण्डन में तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक–25.08.2022 की रात्रि 10.30 बजे को वादी पक्ष को लाठी व लोहे की राड से मारपीट कर घायल किया है, जिससे वादी को चोटें आयी है। पत्रावली पर मजरूब की चिकित्सा आख्या उपलब्ध है, जिसमें फ्रैक्चर आना उल्लिखित है। वादी ने घटना के समर्थन में विवादास्पद बयान दिया है। शेष गवाहों ने घटना का समर्थन किया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य है। अतः अभियुक्तगण को अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

22– उभयपक्ष की बहस को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि यह मुकदमा वादी की तहरीर पर प्रदर्श–क–1 के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध एन०सी०आर० नामित पंजीकृत की गयी है और बाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी विवेचक द्वारा सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रेषित किया गया है। अभियोजन द्वारा अपने कथानक के समर्थन में कुल 09 साक्षीगण प्रस्तुत किये गये है, जिन्हें न्यायालय में परीक्षित कराया गया है।

23– साक्षी पी०डब्लू०–1 ने अपने बयान में कथन किया है कि घटना दिनांक–25.08.2022 रात 10.30 बजे की है। मैं खाना खाने के लिए जा रहा था, जैसे ही मैं मदीना मस्जिद के पास पहुंचा तो पीछे से कौशल लाठी से और मनोज ने लोहे के राड से मारा, जिससे मैं बेहोश होकर वही पर गिर गया था। फिर वहां से कोई उठाकर घर मुझे लेकर आये फिर डाक्टर के पास गये तो डाक्टर ने मना कर दिया कि पुलिस केस है। उसके बाद मैं थाने पर गया और थाने के बाहर एक व्यक्ति से तहरीर बोल–बोलकर लिखाया था, उसने पढ़कर सुनाया था तब मैंने दस्तखत बनाकर तहरीर थाने पर दिया था।

किन्तु जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि घटना के दिन भी मैंने अपना ठेला व्यापार स्थल से लाकर अपने घऱ पर खड़ा किया था। घटना के दिन मेरी बीबी व पतोहू ने खाना बनाया था उसी को खाया था। मनोज व कौशल भी फास्टफूड का ठेला लगाते है, अलग–अलग ठेला लगाते है। मनोज अपना ठेला पइतिमा खाना करनैलगंज चौराहे पर लगाते है और कौशल अपना ठेला कसगढ़ मोहल्ला के सामने करनैलगंज में लगाते है ये दोनों लोग भी अपना ठेला ढकेल कर अपने–अपने कमरे पर ले जाते है। इन

दोनों का कमरा भैरवनाथ मंदिर के पीछे करनैलगंज स्टेशन के पास है। **घटना के दिन में दोनों लोग भी ढकेलकर अपना–अपना ठेला कमरे पर ले गये थे। कौशल व मनोज से मेरी वर्तमान में कोई दुश्मनी नहीं थी हम दोनों की व्यापारिक दुश्मनी थी, क्योंकि हम लोग एक ही धन्धा करते है और व्यवसायिक रंजिश थी।** यह कहना गलत है कि घटना वाले दिन मैं अपने ठेला लेकर जब शराब ठेका के सामने से गुजर रहा था तब वहां मौजूद शराबियों ने मेरे ठेले के सामान को खाया पीया और जब मैंने उनसे पैसा मांगा तब उन शराबियों द्वारा मुझे बांस की फट्ठी से मारा गया था, जिससे मुझे चोटें आयी थी। **घटनास्थल पर चोटें नहीं आयी थी। यह भी कहना गलत है कि मनोज व कौशल ने मुझे मारपीट कर चोटें पहुंचाई हो।** यह भी कहना गलत है कि अज्ञात व्यक्तियों द्वार पहुंचाई गयी चोट आने के कारण मैंने मौका पाकर मनोज व कौशल के विरूद्ध व्यवसायिक प्रतिस्पर्ध के कारण मैंने झूंठा मुकदमा लिखाया था। मुझे दो चोटें आयी थी एक चोट सिर व एक पीठ के कमर पर आयी थी। वह लोहें के राड वाली चोट आयी थी इन दोनों चोटों को मैंने डाक्टर को दिखाया था।

इस प्रकार इस साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने से इन्कार किया है और अभियोजन कथानक के सापेक्ष विरोधाभाषी बयान दिया है, शेष गवाह ने भी अभियोजन कथानक का कोई समर्थन नहीं किया है।

24– साक्षी पी०डब्लू०–2 ने अपने बयान में कथन किया है कि घटना आज से करीब 03 साल पूर्व की है। मनोज व कौशल करनैलगंज में किराये के मकान पर रहते थे और फास्टफूड का ढेला लगाकर अपनी जीविका चलाते थे। घटना वाली रात उक्त लोगों के ठेले पर आये कुछ नसेड़ियों के बीच हुए झगड़े में बीच बचाव को लेकर चैतू निषाद को उन्हीं लोगों द्वारा लात, घूसे व डंडों से मारा पीटा, और वहां मौजूद लोग द्वारा बीच बचाव कराया गया था मेरे साथ घटना को प्रेमकुमार, मुकेश, शक्ति राम, सुनील व पवन यादव ने देखा था।

किन्तु जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि **चैतू व मनोज तथा कौशल के बीच कोई वाद विवाद नहीं हुआ था। मनोज व कौशल ने कथित घटना के दिन चैतू को लात घूसा व लाठी डंडों से मारा पीटा नहीं है और न ही गाली गलौज दिया है, जो सही बात है आज मैं न्यायालय के समक्ष बता रहा हूँ। चैतू निषाद को नसेडियों ने करनैलगंज शराब की दुकान के पास वाद विवाद होने पर चोटें पहुंचाई थी।**

25– साक्षी पी०डब्लू०–3 ने अपने बयान में कथन किया है कि घटना आज से लगभग 03 साल पहले रात करीब 10–11 बजे के बीच की है, मनोज व कौशल करनैलगंज बाजार में किराये का मकान लेकर फास्ट फूट का ठेला लगाकर अपनी जीविका चलाते थे। घटना वाली रात मनोज व कौशल के ठेले के बगल चैतू निषाद भी ठेला लगाते थे वहां कुछ नशेडियों के बीच हुए झगडे में बीच बचाव करने पर चैतू निषाद को उन्ही नशेडियों व उनके साथियों ने लाठी डंडा व लात घूसों से मारा गया था, जिससे चैतू को चोट आयी थी मैंने तथा अन्य लोगों ने बीच बचाव कराया था।

किन्तु जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि **घटना के समय चैतू निषाद अपने फास्टफूड ठेले को करनैलगंज बस स्टाप पर शराब ठेके के सामने लगाये हुए थे इनके ठेले पर कुछ दो–तीन शराबियों ने उनके फास्टफूड को खाया पीया और जब चैतू निषाद ने पैसा मांगा तब उन लोगों ने पैसा नहीं दिया और चैतू को गाली गुप्ता देते हुए लात, घूसा व सड़क के किनारे पड़ी बास की फट्ठी**

से मारा पीटा, जिससे उन्हें चोटें आयी थी। मनोज व कौशल ने चैतू को न तो गाली गुप्ता दिया है और न ही उन्हें मारा पीटा है।

26– साक्षी पी०डब्लू०–4 ने अपने बयान में कथन किया है कि घटना दिनांक–25.08.2022 समय करीब रात 10–11 बजे के बीच की है। मनोज व कौशल करनैलगंज बाजार में फास्ट फूड का ठेला लगाते थे और वहीं किराये के मकान में रहते थे, मनोज के ठेले के पास ही चैतू निषाद भी फास्ट फूड का ठेला लगाते थे। घटना वाली रात चैतू के ठेले पर कुछ नसेडी शराब पीकर आपस में झगड़ा कर रहे थे, चैतू द्वारा ठेले के पास झगड़ा न करने के लिए कहने पर उन नसेडियों ने चैतू को लाठी, डंडा व लात घूसों से मारा पीटा था, हल्ला गोहार पर मैंने सुनील, प्रेम कुमार, मुकेश व पवन ने झगड़े का बीच बचाव कराया था। घटना में चैतू को चोटें आयी थी।

किन्तु जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि **मुल्जिमान मनोज उर्फ ओम प्रकाश व कौशल ने चैतू निषाद को न तो मारा पीटा है न ही गाली गलौज किया है। चैतू निषाद को चोटें शराबियों द्वारा पहुंचाई गयी है। ठेला लगाने के स्थान को लेकर चैतू निषाद व मनोज तथा कौशल के बीच आपसी मनमुटाव व रंजिश थी इसी रंजिश को लेकर चैतू निषाद ने मनोज व कौशल के विरूद्ध यह झूंठा मुकदमा लिखाया था। उक्त घटना को मैंने अपनी आँखों से देखा है।**

27– इस प्रकार घटना के चक्षुदर्शी साक्षीगण ने घटना से इन्कार किया है और अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई कथन नहीं किया है। वादी मुकदमा ने भी अपने बयान में विरोधाभाषी कथन करते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रत्यक्ष रूप से कोई कथन नहीं किया है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी पक्ष को मारपीट नहीं की गयी है, गवाहों के बयानों में घोर विरोधाभाष है, अभियोजन के सभी गवाह पक्षद्रोही है और जब घटना के चक्षुदर्शी साक्षी घटना का समर्थन नहीं करते है तो केवल चिकित्सा आख्या के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। खण्डन में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पत्रावली पर मजरूब की चिकित्सा आख्या उपलब्ध है, जिसमें मजरूब को चोटें दर्शित की गयी है, गवाहों के पक्षद्रोही होने के आधार पर अभियुक्तगण को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता। पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य है।

28– प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा घटना दिनांक–25.08.2022 रात्रि 10.30 की होना दर्शित किया गया है और अभियुक्तगण के विरूद्ध नामित प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी है। घटना स्थान मदीना मस्जिद के बगल की होना कहा गया है, जबकि अभियोजन के गवाहान ने घटनास्थल पर कोई घटना न होने का कथन किया है और अभियुक्तगण द्वारा किसी प्रकार की कोई मारपीट न किये जाने का कथन किया है। इस मामलें में तथ्य के सभी गवाह घटना का समर्थन नहीं करते है। वादी मुकदमा ने अपने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है, किन्तु जिरह के दौरान अभियोजन कथानक के सापेक्ष विरोधाभाषी कथन करते हुए अभियुक्तगण द्वारा मारपीट न किये जाने का कथन किया है और घटनास्थल पर भी कोई चोट न आने का कथन किया गया है। अभियोजन के शेष गवाह औपचारिक साक्षीगण है, जिन्होंने अभियोजन अभिलेखों की औपचारिकता को साबित किया है। गवाहों के बयानों में घोर विरोधाभाष है। अभियुक्तगण के विरूद्ध पत्रावली पर साक्ष्य का अभाव है, मात्र अभियोजन अभिलेखों के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देते हुए आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

29– उभयपक्ष के तर्क सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का विश्लेषण करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अभियोजन अपने कथानक को अभियुक्तगण के विरूद्ध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है, तद्नुसार अभियुक्तगण आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा–323/34, 308/34, 504 भा०दं०सं० से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

30– अभियुक्तगण **कौशल निषाद व मनोज पासी उर्फ ओम प्रकाश** को आरोपित आरोप अन्तर्गत **धारा–323/34, 308/34, 504 भा०दं०सं०** में दोषमुक्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण न्यायालय में हाजिर हैं और अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके जमानत बंध पत्र निरस्त किये जाते हैं और अभियुक्तगण के जामिनदार को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा धारा–437(ए) दं०प्र०सं० के तहत 20,000–20,000/–रूपये (बीस–बीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं इतनी ही धनराशि के दो–दो प्रतिभू प्रस्तुत किये जाएं, जो कि अपील की अवधि के छः माह तक प्रभावी रहेंगे।

दिनांक–26.03.2026

(राजेश कुमार–III)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–03,गोण्डा।
JO Code UP-5962

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–26.03.2026

(राजेश कुमार–III)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–03,गोण्डा।
JO Code UP-5962